राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.2.12 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 10.2.12 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाली अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग तथा समिति के सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये, गत बैठक दिनांक 29.6.2011 में लिये गये निर्णय की अनुपालना से अवगत करवाया। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में जैसलमेर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है एवं जयपुर में डोप्लर राडार स्टेशन भी प्रारम्भ हो चुका है। इसके अतिरिक्त आरएसी, कोटा द्वारा चाहे गये उपकरणों तथा एसडीआरएफ तथा पुलिस अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान करवाने हेतु आवश्यक वित्तीय राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार पूर्व बैठक में लिये गये सभी निर्णयों की अनुपालना पूरी हो चुकी है।

इसके उपरान्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग तथा सदस्य सचिव, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा इस बैठक के विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये उन्हें समिति के सदस्यों के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

1. प्रारूप राज्य आपदा प्रबन्धन नीति का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि प्रस्तावित नीति की जाँच आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में की जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि नीति में उल्लेखित विषय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हों।

2. राज्य आपदा राहत निधि (SDRF) में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 (माह नवम्बर, 11 तक) में किये गये व्यय क्रमशः रुपये 804.03 करोड़ तथा रुपये 46.47 करोड़ के मदवार व्यय को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. समिति की गत बैठक एवं इस बैठक के बीच की अवधि में विभाग द्वारा एसडीआरएफ मद से निम्न स्वीकृत्तियाँ जारी की गई, जिनका समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया:-

3.1 मानसून वर्षा 2011 से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न जिलों को आवंटित की गई राशि रुपये 50.61 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

3.2 **क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि का अनुमोदन**

(अ) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में रेट्रोफीटिंग क्लीनिक कार्यशाला के आयोजन हेतु आवंटित राशि रुपये 0.50 लाख

(ब) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि रुपये 0.10 लाख

(स) कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि रुपये 8.37 लाख

(द) पुलिस में नवनियुक्त कानि. के प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि रुपये 7.03 लाख

3.3 एसडीआरएफ कोटा इकाई हेतु उपकरणों के क्रय हेतु आवंटित राशि रुपये 1.82 लाख

3.4 **सैटेलाइट फोन्स के आवृत्ति व्यय के लिये बजट उपलब्ध करवाने हेतु**

(अ) पूर्व में संभागीय मुख्यालयों पर सैटेलाइट फोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। समिति द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुये यह निर्णय लिया कि इस सुविधा को अजमेर व बीकानेर के अलावा शेष संभाग मुख्यालयों के संबंध में वापस (withdraw) कर लिया जाये।

(ब) संभागीय आयुक्त अजमेर एवं बीकानेर को उपलब्ध कराये गये सैटेलाईट फोन का आवर्ति व्यय राजस्व विभाग एवं मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित सैटेलाइट फोन्स के मासिक आवृत्ति व्यय के लिये गृह विभाग अपने बजट मद में प्रावधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

3.5 गत अभाव संवत् 2067 में अनुग्रह सहायता हेतु दिनांक 23.2.11 से 15.7.11 तक बढ़ाई गई अवधि का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

इसके उपरान्त समिति के समक्ष नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिन पर विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

4.1 राज्य में बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिये खोज/बचाव यंत्रों के अन्तर्गत सीसीटीवी, लेजर कैमरे, सर्च लाइट, अन्य किट आदि पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि अभी संभाग मुख्यालयों पर ये उपकरण उपलबध रखवाये जावें। इनमें से जयपुर, कोटा एवं जोधपुर में ये उपकरण एसडीआरएफ को तथा अन्य मुख्यालयों में महानिरीक्षक पुलिस को उपलब्ध करवाये जायें।

4.2 महानिरीक्षक आरएसी के प्रस्तावानुसार राज्य आपदा प्रतिसाद दलों तथा प्रशिक्षण यूनिट के लिए वांछित उपकरण उपलब्ध करवाने बाबत निर्णय लिया गया कि इस हेतु रुपये 791.00 लाख तथा एक एम्बूलेन्स हेतु रुपये 806.00 लाख उपलब्ध करवाये जावें।

4.3 समिति के समक्ष नगरपालिका संगरिया (हनुमानगढ़) मांडलगढ (भीलवाड़ा), बाड़ी (धौलपुर) से प्राप्त फायर ब्रिगेड वाहन क्रय करने संबंधी प्रस्ताव रखे गये, जिन पर यह निर्णय लिया गया कि राज्य में अग्नि शमन अधिनियम आने वाला है अतः अग्नि शमन वाहन/अन्य उपकरणों के नये

प्रस्तावों पर विचार प्रस्तावित अग्नि शमन अधिनियम के अनुसार समग्र रूप से बाद में किया जावेगा।

4.4 एसडीआरएफ मद से पूर्व में नगर निगम जयपुर व कोटा को स्वीकृत किये गये एरियल हाइड्रोलिक लेडर तथा अन्य अग्नि शमन उपकरण शीघ्र खरीदकर उपयोगिता प्रमाण पत्र आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाये जायें।

4.5 चिकित्सा शिक्षा विभाग को पूर्व में आवंटित की गई राशि को उसी बजट सीमा तक के प्रस्तावों में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्देश प्रदान किये गये कि स्वीकृत राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया जाये एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जावे।

4.6 एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर के न्यूरोसर्जरी विभाग हेतु उपकरण क्रय के प्रस्ताव रुपये 1127.00 लाख पर चर्चा करने के उपरान्त प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा को निर्देशित किया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 के समग्र प्रस्तावों में शामिल करते हुये पुनः प्रेषित करें।

4.7 संभागीय मुख्यालयों पर उपलब्ध करवाये गए 7 वाहनों (बोलेरो) के लिए पी.ओ.एल. एवं रखरखाव हेतु पृथक से बजट की मांग सम्बन्धित बजट मद में राजस्व विभाग द्वारा वित्त विभाग से की जावे।

4.8 ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर्स के भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये समिति द्वारा सिद्धान्तः यह स्वीकृति प्रदान की गई कि सभी जिलों में पुलिस लाइन्स में उपलब्ध स्थान पर ईओसी भवन का निर्माण कार्य करवाया जावे। गृह विभाग इन भवनों के लिये आवश्यक भूमि का आवंटन करेगा। प्रथम चरण में इस वर्ष एसडीआरएफ की 3 यूनिटों क्रमशः जयपुर, जोधपुर तथा कोटा हेतु भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाये। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि गृह विभाग राज्य योजना में प्रावधान हेतु इनके प्रस्ताव तैयार कर योजना/वित्त विभाग को बजट आवंटन हेतु प्रस्तुत करें।

5. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.1.12 को जारी वर्ष 2010-15 के संशोधित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों में, पूर्व प्रचलित सी.आर.एफ. मानदण्डों में से अनेक प्रावधान विलोपित कर दिये हैं, साथ ही कुछ मानदण्डों में समयावधि भी कम कर दी है, जिसके कारण राज्य सरकार को अभाव की स्थिति से निपटने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस पर यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित किया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

शासन उप सचिव